

30/11

वकील वादीगण उपस्थित नहीं।

वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति

व्यक्त कोई कारण भी देना नहीं हुआ। (कार-पद

आवाज लगावाई गई।) अतः यह वाद-पत्र अदालत

पैरवी अदालत हाजरी में खारिज किया जाता है।

प्रावली निर्णय से शुमार की जाकर

नम्बर से काम हो तथा तरीक वकामिल होकर
दाखिल वफर हो।

उपखण्ड अधिकारी

वाराणसी (बुरु)